

प्रेसनोट दिनांक 18.04.2024

1. दिनांक 17.04.2024 को वादी उ0नि0 श्री कृष्णचन्द्र यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अशोक कुमार पुत्र रामअचल पासी नि0 सरियावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची नजायज शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 126/24 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 17.04.2024 को वादी उ0नि0 श्री अनन्त प्रताप सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामतीरथ पुत्र प्रेमदास नि0 तोरोमाफी थाना को0बीकापुर अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची नजायज शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 158/24 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 17.04.2024 को वादी उ0नि0 श्री संजय यादव थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजाराम पुत्र लालजी यादव नि0 तोरोमाफी थाना को0बीकापुर अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची नजायज शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 159/24 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 17.04.2024 को वादी उ0नि0 श्री फखरुद्दीन थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पिकू पुत्र राजाराम दूबे नि0 दूबे का पुरवा थाना को0बीकापुर अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची नजायज शराब बरामद होना।जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 160/24 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 17.04.2024 को वादी उ0नि0 श्री मनीष कुमार चतुर्वेदी थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वकीले उर्फ कल्लू पुत्र अहिया नि0 भेलसर थाना को0रुदौली अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 182/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।